राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम)
पुराना टर्मिनल कर भवन, कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037

फा0सं0 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022–23/1112514/44032 दिनांक : 25/6/2026

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

1. जबकि, दिनांक 28.03.2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022–23/1112514/ 21933 के माध्यम से निम्न निर्दिष्ट भूमि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत गांव– बड़ुसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए नजफगढ़ नाले पर आरडी 14468 मीटर के ऊपरी भाग में 4 लेन के आरसीसी पुल के निर्माण हेतु अधिसूचित किया गया था तथा इसे कलेक्टर द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजपत्र के भाग–IV में प्रकाशित किया गया और साथ ही दिनांक 02 मई, 2025 को इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा अमर उजाला (हिंदी) समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

	खसरा संख्या	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा बिस्वांसी)
गांव बड़ुसराय	31//12/1	3 बिस्वा 2 बिस्वांसी
	कुल	3 बिस्वा 2 बिस्वांसी

2. और जबकि, दिनांक 03.03.2026 की अधिसूचना संख्या एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022–23/1112514/ 16677 के माध्यम से पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना की घोषणा एवं सारांश को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है तथा इसे कलेक्टर द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजपत्र के भाग IV में प्रकाशित किया गया और साथ ही दिनांक 17 मार्च, 2026 को द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) तथा हिंदुस्तान (हिंदी) समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

3. अब इसलिए, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसरण में, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सरकार उपरोक्त भूमि पर आधिपत्य करना चाहती है, जो "सार्वजनिक प्रयोजनार्थ" आवश्यक है, तथा उपरोक्त भूमि में क्षतिपूर्ति और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के दावों को सभी हितबद्ध व्यक्तिगत रूप से या एजेंट/अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें भूमि में अपने संबंधित हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए क्षतिपूर्ति के दावों की राशि और विवरण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के दावों के साथ–साथ यदि कोई आपत्ति हो तो उसे कलेक्टर के समक्ष **30 जुलाई, 2026 को सुबह 11:30 बजे** जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम), कपासहेड़ा, नई दिल्ली के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

M. Chaitanya Prasad

मेकला चैतन्य प्रसाद, आईएएस
डीएम/डीसी/कलेक्टर
जिला दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली

Mekala Chaitanya Prasad, IAS
District Magistrate
South-West Delhi

फा0सं0 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022–23/1112514/44032 दिनांक : 25/6/2026

अनुपालन हेतु निम्न को प्रतिलिपि :–

1. कार्यकारी अभियंता : सीडी–1, कार्यकारी अभियंता कार्यालय, सिविल प्रभाग–1, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बसईदारापुर कार्यालय परिसर, नई दिल्ली – 110027 से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करें।
2. कार्यकारी अभियंता, सीडी–XIX, कार्यकारी अभियंता कार्यालय, सिविल प्रभाग–XIX, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ईएसआई अस्पताल के सामने, बसईदारापुर, नई दिल्ली–110027 से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करें।
3. तहसीलदार (मटियाला) यह सुनिश्चित करें कि इस जन सूचना की प्रतियां प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जाएं।
4. एनटी (एलए शाखा) यह सुनिश्चित करे कि यह सार्वजनिक सूचना डीएम (एसडब्ल्यू), एडीएमडी (एसडब्ल्यू), एसडीएम/तहसीलदार (मटियाला) के कार्यालय के सूचना पट्ट और खसरा संख्या के स्थल पर लगाई जाए।
5. डीआईओ (दक्षिण–पश्चिम) यह सुनिश्चित करे कि यह सूचना जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम) के पोर्टल पर अपलोड की जाए।
6. वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, संभागीय आयुक्त कार्यालय, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (सूचना एवं यातायात विभाग), एल.एम. बंड कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर दिल्ली–110031
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (राजस्व)–सह–मंडल आयुक्त को सूचनार्थ।
3. उप सचिव, भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली–110002
4. उप निदेशक (एलएम), डीडीए, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023

प्रतिलिनि निम्न को :–

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम नानक हेरी, नई दिल्ली।
2. श्री हेमन्त कुमार पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम नानक हेरी, नई दिल्ली।
3. श्री पवन कुमार पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम नानक हेरी, नई दिल्ली।

M. Chaitanya Prasad

मेकला चैतन्य प्रसाद, आईएएस
डीएम/डीसी/कलेक्टर
जिला दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली
Mekala Chaitanya Prasad, IAS
District Magistrate
South-West Delhi